



पत्रांक निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०अनु०/टेलीफोन दिनांक 25/12/06
कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा सम्यक निचारेपरान्त कार्पोरेशन ज्ञापक 7883-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०अनु० /टेलीफोन, दिनांक 21.12.2006 द्वारा कार्मिकों को अनुमत्य की गई टेलीफोन सुविधा हेतु फोन कंत्र की सीमा ₹० 2000/- निर्धारित करते हुये उनके लिये सर्विस प्रोवाइडर्स से अनुबन्धित गुण में फ्री सी०यू०जी० सुविधा सहित फोन कॉन्ट्रैक्ट की निम्नलिखित वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है :-

खर्चों/उपग्रहप्रबन्धक(वित्त) कार्यालय में तैनात लेखाकार	किराया+₹० 350/-
आशुलिपिक-(वि०श्रे०/प्रथम/द्वितीय/तृतीय)	किराया+₹० 250/-
कार्यालय अधीक्षक- (वि०श्रे०/प्रथम/द्वितीय)	किराया+₹० 250/-
साइनमैन	किराया+₹० 250/-

साथ ही नियन्त्रक अधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा सी०यू०जी० के बाहर कॉल करने हेतु गितव्ययता सुनिश्चित करें ।

इसके अतिरिक्त ज्ञापक 7883-निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०अनु०/टेलीफोन, दिनांक 21.12.06 द्वारा दी गयी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2580 निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/का०अनु०/टेलीफोन/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुगन्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अ०एवं प्र०नि०/निदेशक(वित्त)/निदेशक(मानव संसाधन), ऊर्जा भवन, देहरादून ।
2. मुख्याहाप्रबन्धक(सम्बद्ध) अ०एवं प्र०नि०, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपग्रहप्रबन्धक(वित्त/सू०प्र०)/कम्पनी सचिव/समस्त उपग्रहप्रबन्धक/उपमुख्याधिकारि उपाकालि ।
4. महाप्रबन्धक(वित्त) गढ़वाल/पर्वतीय क्षेत्र, देहरादून/हल्द्वानी को इस तथ्य से प्रेषित कि चूंकि उक्त कार्मिकों को सर्विस प्रोवाइडर्स आइडिया के प्लान सं० 128 में फ्री सी०यू०जी० की सुविधा सहित प्रथम चरण में मात्र दो माह की परीक्षण अवधि में कार्य दिये जाने का निर्णय लिया गया है अतः कार्मिकों को प्रश्नगत संस्था से कनेक्शन दिये जाने के उपरान्त उनके क्षेत्र के अन्तर्गत परीक्षण अवधि में सर्विस प्रोवाइडर्स आइडिया की performance efficiency से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें जिससे कि नेटवर्क अनियमितता व अन्य किसी प्रकार की अनियमितता होने पर उक्त संस्था को कार्य दिये जाने को पुनर्निर्धारित किया जा सके ।
5. उपग्रहप्रबन्धक(जानपद)/(मुख्यालय) ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उनके द्वारा प्रस्तावित आइडिया प्लान संख्या 128 फ्री सी०यू०जी० सुविधा सहित सम्बन्धित संस्था को प्रथम चरण में मात्र दो माह की परीक्षण अवधि के लिये कार्य दिये जाने का निर्णय लिया गया है, अतः कार्मिकों को प्रश्नगत संस्था से कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के उपरान्त परीक्षण अवधि में इस संस्था की performance efficiency, नेटवर्क उपलब्धता आदि की जानकारी प्राप्त कर सूचित करें जिससे इस सम्बन्ध में संस्था की सेवाओं की निरन्तरता पर निर्णय लिया जा सके ।
इसके अतिरिक्त दूरभाष गद में भित्तव्ययता की दृष्टि से उपाकालि के सभी कार्मिकों के लिये किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के एक ही प्लान लागू किये जाने के सम्बन्ध में एकविक्रि सर्विस प्रोवाइडर्स से विवरण प्राप्त कर तुलनात्मक रूप से उनका अध्ययन करते हुये अग्रिम कार्यवाही कर इस कार्यालय को तथ्यपरक आख्या अविश्वस्य उपलब्ध करायें ताकि सम्पूर्ण प्रदेश में सी०यू०जी० सुविधा के उपरान्त कार्मिकों को अनुमत्य कॉन्ट्रैक्ट दरों को समग्र रूप से पुनर्निर्धारित किये जा सकें
6. समस्त अधिष्ठासी अभियन्ता, उपाकालि ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, कार्पोरेशन मुख्यालय, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
कार्यालय ज्ञापन/मास्टर फाइल ।

(शिरद कृष्ण)
निदेशक (मानव संसाधन)